



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 23.09.2023

1.थाना सेक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा, वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल व 02 अवैध चाकू बरामद।

घटना क्रम का विवरण--- आज दिनांक 23.09.2023 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा, लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. रामानन्द पुत्र रामकरन 2-सतेन्द्र पुत्र राम नयन को डी पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल व 02 अवैध चाकू बरामद। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि बरामद मोटर साइकिल लगभग 15 दिन पहले दलित प्रेरणा स्थल अम्बेडकर पार्क नोएडा से चोरी की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फेस-1 नोएडा पर मु0अ0सं0 481/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्तों का विवरण----

1. रामानन्द पुत्र रामकरन निवासी देवरिया बाजार थाना राजे सुल्तान पुरा जिला अम्बेडकर नगर उ0प्र0 हाल पता छिजारसी कालोनी थाना सैक्टर 63 नोएडा उम्र 26 वर्ष
- 2-सतेन्द्र पुत्र राम नयन निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ हाल पता छिजारसी कालोनी थाना सैक्टर 63 नोएडा उम्र 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण----

- 1.मु0अ0सं0 447/23 धारा 411 भादवि व 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सेक्टर-63 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 481/2023 धारा 379 भादवि0 थाना फेस-1 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण----

1. 02 अवैध चाकू
2. एक मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस रजि0 नं0 UP 23 AJ 2546

2.थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा, हत्या का प्रयास करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना क्रम विवरण---- आज दिनांक 23.09.2023 को थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 445/2023 धारा 147/148/149/323/506/307 भादवि के अंतर्गत वांछित अभियुक्तों 1.रवि पुत्र रामनिवास उर्फ सुल्ला 2. अनिल पुत्र रामनिवास उर्फ सुल्ला 3. जोगेन्द्र पुत्र रामनिवास को सेक्टर 62 गोलचक्कर से गिरफ्तार किया गया है, कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण---- दिनांक 22.09.2023 को वादी की सूचना के आधार पर ग्राम वाजिदपुर में जमीनी विवाद को लेकर सुल्ला उर्फ रामनिवास, अनिल, रवि, जोगेन्द्र व भतीजे राहुल व दीपक के द्वारा वादी व वादी के परिवार वालों के साथ मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देते हुये, जान से मारने की नियत से अवैध तमंचा से गोली चला देना।

अभियुक्तों का विवरण----

1. रवि पुत्र रामनिवास उर्फ सुल्ला निवासी ग्राम हजरतपुर वाजिदपुर थाना सेक्टर -63 जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 27 वर्ष
2. अनिल पुत्र रामनिवास उर्फ सुल्ला निवासी उपरोक्त उम्र 25 वर्ष
3. जोगेन्द्र पुत्र रामनिवास निवासी उपरोक्त उम्र 32

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण---

1. मु.अ.सं 445/23 धारा 147/148/149/323/506/307 भादवि व बढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैक्टर-63 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
2. मु.अ.सं 281/2017 धारा 147, 148, 323, 336 भादवि थाना फेस-3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
3. मु.अ.सं 564/2018 धारा 147, 148, 323, 504,506,325 भादवि थाना फेस-3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण---- घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस 315 बोर ।